

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 09/2025
वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए

अनिल कुमार पुत्र सतपाल जाति जाट साकिन निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया।

वादी

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र सतपाल जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया।
2. बलवीर सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति तरखान नि.ढाणी 5 डीएनजी दीनगढ़ तहसील संगरिया।
3. बलदेव सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति तरखान निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया।
4. महेन्द्र सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति तरखान नि.ढाणी 5 डीएनजी दीनगढ़ तहसील संगरिया।
5. राजसिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति तरखान नि.ढाणी 5 डीएनजी दीनगढ़ तहसील संगरिया।
6. दलीप कौर पत्नी गुरनाम सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति तरखान नि.ढाणी 5 डीएनजी दीनगढ़ तह.संगरिया
7. बलजीतसिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति तरखान साकिन नन्दगढ़ तह.संगतमडी पंजाब
8. भगवान कौर पत्नी बख्तावरसिंह जाति तरखान साकिन नन्दगढ़ तह.संगतमण्डी पंजाब
9. भोलासिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र कर्मजीत सिंह जाति तरखान सा.ढाबा तहसील संगरिया।
10. सुखपालकौर पत्नी कलवन्त सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति तरखान सा.ढाबा तहसील संगरिया।
11. बबलदीप सिंह पुत्र कलवन्त सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति तरखान सा.ढाबा तहसील संगरिया।
12. मनजोतसिंह पुत्र कलवन्त सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति तरखान सा.ढाबा तहसील संगरिया।
13. उम्मेद सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र कर्मजीत सिंह जाति तरखान सा.ढाबा तहसील संगरिया।
14. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 18.3.2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री जिनेन्द्र कुमार बाथम वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 9 ता 13 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 2 डीएनजी

1. अनिल कुमार पुत्र सतपाल जाति जाट सा.दीनगढ़ की कब्जा काश्त की भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
189/137	70	10,11,20,21/0.253 है.प्र.
189/138	71	1/0.253 है.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/128 दिनांक 14.01.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- वाद पत्र में वादी/प्रति. संख्या 1 ने चक 2 डी.एन.जी. के खाता संख्या 113/83 में मृतका नानीदेवी पत्नी अंगदकुमार के नाम दर्ज कृषि भूमि में से अपने विरासतन हिस्सा का अनुतोष भी चाहा गया है इसलिए उक्त खाते से इनका 0.060 हिस्सा कम किया जावे।

निज... मुब्लिक... बाबत... खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.3.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया